ऑन लाईन नं. RCMS 2014/00062

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 02/2014

1. हंसराज पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी मोरजण्डाखाशी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद वार्ड नम्बर 08 गुरूनानक बस्ती, संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोरजण्डाखाशी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्डाखाशी पंचायत समिति सादुलशहर।
3. आदराम पुत्र श्री रतीराम निवासी मोरजण्डाखाशी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.1981 जिसकी रूह से अनावेदक संख्या–1 द्वारा अनावेदक संख्या–3 को भूखण्ड संख्या बी/5 साईज 50x75 फुट आवंटन किया गया निरस्त किये जाने हेतु। निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम।

उपस्थित :

1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश:: दिनांक:–06.05.2026

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि आवेदक के खिलाफ अनावेदक संख्या–1 ने एक निगरानी श्रीमान् के यहां प्रस्तुत की जो एक पक्षीय रूप से दिनांक 22.11.2013 को स्वीकार की गई। उक्त निगरानी निर्णय किया गया था जिसके लिए आवेदक द्वारा उस निर्णय को निरस्त किये जाकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 प्रस्तुत कर दिया है जिसके स्वीकार होने की पूरी–पूरी सम्भावना है।
2. यह कि आवेदक को ग्राम पंचायत मोरजण्डाखाशी द्वारा एक पट्टा/अहाता दिनांक 25.09.1997 को बी–5 आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध अनावेदक संख्या–1 द्वारा माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई और निगरानी के अभिकथनों को दोहराते हुए न्यायालय से अनुतोष चाहा कि आवेदकगण को किया गया पट्टा निरस्त किया जावें, परन्तु वह निगरानी का निर्णय बिना सुने ही किया गया था

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें दूसरा पक्षकार प्रस्तुत हो चुका है।

3. यह कि आवेदक को उक्त प्लॉट पूर्णतः सुनवाई करके व नियमों की पालना में दिनांक 25.09.1997 को आवंटन किया गया था। अनावेदक संख्या–3 को बी–5 जो दिनांक 17.10.1981 होने का भी कथन करते है व पूर्णतः मिथ्या है। आवेदक का भूखण्ड कभी भी प्यूर्व में अनावेदक संख्या–3 को अनावेदक संख्या–2 द्वारा आवंटन नहीं किया गया था और ना ही कोई कार्यवाही की गई थी और नाही कोई नक्शा बनाया गया था ना ही किसी को सुना गया था। इस प्रकार अनावेदक संख्या–2 को किया गया भूखण्ड आवंटन पूर्णतः विधि विरूद्ध खिलाफ कानून पारित किया गया था जो अपास्त होने योग्य है।

4. यह कि आवेदक के खिलाफ अनावेदक संख्या–1 द्वारा जो निगरानी पूर्व में प्रस्तुत की गई थी उसे प्रस्तुत करने का अनावेदक संख्या–1 को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए वह निगरानी स्वतः ही निष्प्रभावी थी।

5. यह कि आवेदक को विवादित स्थल पूर्ण प्रकिया अपनाकर आवंटन किया गया है इसलिए आवेदक निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जावें और अनावेदक संख्या–3 के हक में विवादित अहाता संख्या बी–5 वाके मोरजण्डाखारी जो दिनांक 17.10.1981 को विधि विरूद्ध आवंटन किया गया है उसे निरस्त किया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी आदेश दिनांक 17.10.1981 के विरूद्ध पेश की गई है। आदेश दिनांक 17.10.1981 के विरूद्ध पूर्व में निर्णय दिनांक 22.11.2013 को निगरानी प्रकरण संख्या 45/2013 व 47/2013 अनवानी रामकुमार बनाम ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी व अन्य को पारित किया जा चुका है जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट विचाराधीन होते हुए भी निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी श्रीमान न्यायालय में पेश की गई जो निराधार व नियम विरूद्ध है क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा रिट माननीय न्यायालय जोधुपर में की हुई है। इसलिए उक्त निगरानी निष्प्रभावी होने के कारण खारिज फरमाई जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 ने एक निगरानी श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत की जो एक पक्षीय रूप से दिनांक 22.11.2013 को स्वीकार की गई। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत मोरजण्डाखारी द्वारा एक अहाता दिनांक 25.09.1997

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

को बी–5 आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 द्वारा माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई और निगरानी के अभिकथनों को दोहराते हुए न्यायालय से अनुतोष चाहा कि निगरानीकर्ता को किया गया आवंटन निरस्त किया जावें, परन्तु श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी में निर्णय बिना निगरानीकर्ता को सुने ही कर दिया जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें गैरनिगरानीकर्ता उपस्थित हो चुके है। निगरानीकर्ता को उक्त प्लॉट पूर्णतः सुनवाई करके व नियमों की पालना में दिनांक 25.09.1997 को आवंटन किया गया था। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 को अहाता संख्या बी–5 जो दिनांक 17.10.1981 का आवंटन होने का भी कथन किया है व पूर्णतः मिथ्या है। निगरानीकर्ता का भूखण्ड कभी भी पूर्व में गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 को ग्राम पंचायत मोरजण्डाखारी द्वारा आवंटन नहीं किया गया और ना ही कोई कार्यवाही की गई थी और ना ही कोई नक्शा बनाया गया व ना ही किसी को सुना गया था। इस प्रकार गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 को किया गया भूखण्ड आवंटन पूर्णतः विधि विरूद्ध खिलाफ कानून पारित किया गया था जो अपास्त होने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता को किया आवंटन निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत मोरजण्डाखारी के आदेश दिनांक 17.10.1981 के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत की गई। आदेश दिनांक 17.10.1981 के विरूद्ध पूर्व में निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2013 को निगरानी प्रकरण संख्या 45/2013 व 47/2013 अनवानी रामकुमार बनाम ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी व अन्य को पारित किया जा चुका है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.2023 के विरूद्ध अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता के कथनानुसार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट विचाराधीन होते हुए भी निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी श्रीमान न्यायालय में पेश की गई जो निराधार व नियम विरूद्ध है, क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा रिट माननीय न्यायालय जोधुपर में की हुई है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)